भारत सरकार

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2690

मंगलवार, दिनांक 11 अगस्त, 2026 को उत्तर दिए जाने हेतु

सरकारी योजनाओं के तहत रूफटॉप सौर स्थापनाएं

2690 श्री नारायण दास गुप्ता:

क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में नवीकरणीय ऊर्जा की संस्थापित क्षमता का स्रोत-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने नवीकरणीय ऊर्जा एकीकरण के लिए ऊर्जा भंडारण प्रणाली की आवश्यकता का आकलन किया है;

(ग) सरकारी योजनाओं के तहत संस्थापित रूफटॉप सौर स्थापनाओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) सौर मॉड्यूल, बैटरी और हाइड्रोजन प्रौद्योगिकियों के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए कौन-कौन से कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं विद्युत राज्य मंत्री

(श्री श्रीपाद येसो नाईक)

(क) दिनांक 30.06.2026 की स्थिति के अनुसार, देश में कुल 288.58 GW नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता स्थापित की गई है। स्रोत-वार विवरण नीचे दिया गया है:

स्रोत	**स्थापित क्षमता (GW)**
सौर विद्युत	162.15
पवन विद्युत	57.44
जैव विद्युत	11.75
जल विद्युत	57.24
कुल	**288.58**

(ख) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) ने वर्ष 2030 तक लगभग 60.63 GW (336.4 GWh) की ऊर्जा भंडारण प्रणालियों की आवश्यकता का अनुमान लगाया है, जिसमें 18.98 GW (128.40 GWh) पंप्ड स्टोरेज प्लांट (पीएसपी) और 41.65 GW (208 GWh) बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम (बीईएसएस) शामिल है।

(ग) सरकार वर्ष 2026-27 तक देश में एक करोड़ घरों में रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाने के उद्देश्य से फरवरी, 2024 से पीएम-सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना (पीएमएसजीएमबीवाई) कार्यान्वित कर रही है। योजना के राष्ट्रीय पोर्टल के अनुसार, दिनांक 05.08.2026 कि स्थिति के अनुसार, रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन से 50.26 लाख परिवार लाभान्वित हुए हैं। राज्य-वार ब्यौरा **अनुलग्नक-I** में दिया गया है।

(घ) सरकार, ने सौर मॉड्यूलों, बैटरियों और ग्रीन हाइड्रोजन प्रौद्योगिकियों के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं। अन्य के साथ**, अनुलग्नक- II** में दिए गए विवरण शामिल हैं।

अनुलग्नक-I

'सरकारी योजनाओं के तहत रूफटॉप सौर स्थापनाएं' के संबंध में पूछे गए दिनांक 11.08.2026 के राज्य सभा अतारांकित प्रश्न सं. 2690 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

दिनांक 05.08.2026 की स्थिति के अनुसार, पीएमएसजीएमबीवाई के तहत लाभान्वित परिवारों का राज्यवार विवरण

क्र.सं.	राज्य	लाभान्वित परिवारों की संख्या
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	437
2	आंध्र प्रदेश	2,82,838
3	अरुणाचल प्रदेश	1
4	असम	1,66,156
5	बिहार	25,874
6	चंडीगढ़	1,392
7	छत्तीसगढ़	89,575
8	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	1,171
9	गोवा	4,638
10	गुजरात	11,18,156
11	हरियाणा	1,29,461
12	हिमाचल प्रदेश	12,198
13	जम्मू और कश्मीर	40,076
14	झारखंड	3,611
15	कर्नाटक	35,950
16	केरलम्	3,21,940
17	लद्दाख	2,072
18	लक्षद्वीप	1,209
19	मध्य प्रदेश	1,66,200
20	महाराष्ट्र	10,96,989
21	मणिपुर	1,596
22	मेघालय	9,306
23	मिजोरम	1,381
24	नागालैंड	459
25	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	15,872
26	ओडिशा	1,62,139
27	पुडुचेरी	5,031
28	पंजाब	17,822
29	राजस्थान	2,92,105
30	सिक्किम	61
31	तमिलनाडु	1,03,492
32	तेलंगाना	72,044
33	त्रिपुरा	4,597
34	उत्तराखंड	98,799
35	उत्तर प्रदेश	7,37,104
36	पश्चिम बंगाल	4,314
	कुल	**50,26,066**

अनुलग्नक-II

'सरकारी योजनाओं के तहत रूफटॉप सौर स्थापनाएं' के संबंध में पूछे गए दिनांक 11.08.2026 के राज्य सभा अतारांकित प्रश्न सं. 2690 के भाग (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

बैटरियों के स्वदेशी विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदम

- 'भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा भारत में गीगा-स्केल एसीसी विनिर्माण सुविधाओं के लिए उन्नत रसायन विज्ञान सेल (एसीसी) बैटरी भंडारण पर राष्ट्रीय कार्यक्रम लागू किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य 18,100 करोड़ रुपये के कुल बजटीय परिव्यय के साथ 50 GWh के लिए एक प्रतिस्पर्धी **स्वदेशी** विनिर्माण **इकोसिस्टम** स्थापित करना है।

- विद्युत मंत्रालय देश में बीईएसएस की 43 GWh से अधिक क्षमता के विकास के लिए विभिन्न योजनाओं के तहत व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण (वीजीएफ) प्रदान कर रहा है।

- ऊर्जा भंडारण प्रणालियों को बढ़ावा देने के लिए सितंबर **2023** में एक राष्ट्रीय फ्रेमवर्क जारी किया गया था**,** जो भंडारण प्रौद्योगिकियों को लागू करने**,** बाजार समेकन और विनियामक सुविधा के लिए एक व्यापक रोडमैप प्रदान करता है।

- परियोजना व्यवहार्यता में सुधार के लिए जून 2028 तक शुरू की गई सह-स्थित बीईएसएस परियोजनाओं के लिए अंतर-राज्यीय पारेषण प्रणाली (आईएसटीएस) शुल्क की छूट प्रदान की गई है।

- बीईएसएस (BESS) से आपूर्ति की जाने वाली बिजली को हाई-प्राइस डे-अहेड मार्केट में भाग लेने की अनुमति दी गई है**,** जिससे भंडारण प्रणाली प्राइस सिग्नल के अनुसार कार्य कर सके

- सीईए ने सौर विद्युत की प्रेषण क्षमता (डिस्पैचेबिलिटी) को बेहतर बनाने के लिए**,** सौर विद्युत परियोजनाओं के साथ ईएसएस (ESS) को सह-स्थित करने पर एक एडवाइजरी जारी की है जिसमें न्यूनतम दो घंटे के लिए**,** स्थापित सौर क्षमता के कम से कम 10% के बराबर भंडारण क्षमता रखने की सिफारिश की गई है।

सौर मॉड्यूलों के स्वदेशी विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदम

- सरकार, 24,000 करोड़ रुपये के परिव्यय से उच्च दक्षता सोलर PV मॉड्यूलों के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) योजना लागू कर रही है, ताकि उच्च दक्षता सोलर PV मॉड्यूलों में गीगा वॉट (GW) स्तर की स्वदेशी विनिर्माण क्षमता प्राप्त की जा सके। इस योजना के तहत, पूरी तरह/आंशिक रूप से 48,337 MW की समेकित एकीकृत सोलर PV मॉड्यूल विनिर्माण इकाइयों की स्थापना के लिए लेटर ऑफ अवार्ड जारी किए गए हैं।
- नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की कुछ वर्तमान योजनाओं, जैसे CPSU योजना चरण-II, PM-KUSUM घटक B और C, और PM सूर्य घर: मुफ़्त बिजली योजना, जिनमें सरकारी सब्सिडी प्रदान की जाती है, के अंतर्गत स्वदेशी स्रोतों से ही सोलर PV सेलों और मॉड्यूलों की खरीद करना अनिवार्य कर दिया गया है ।
- सरकार ने सौर पीवी (PV) सेलों और सौर पीवी मॉड्यूलों के आयात पर मूल सीमा शुल्क (BCD) लागू किया है।
- सरकार ने सौर पीवी सेल और मॉड्यूल के निर्माण के लिए, दिनांक 24 अक्टूबर, 2025 की अधिसूचना संख्या 45/2025-सीमा शुल्क की सूची 18 में निर्दिष्ट वस्तुओं के आयात पर मूल सीमा शुल्क से छूट दी है।

राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के अंतर्गत स्वदेशी उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए उठाए गए कदम

- भारत सरकार, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन (NGHM) लागू कर रही है, जिसका उद्देश्य भारत को ग्रीन हाइड्रोजन और इसके डेरिवेटिव के उत्पादन, उपयोग और निर्यात का एक वैश्विक केंद्र बनाना है। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशन्स फॉर ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांज़िशन (SIGHT) कार्यक्रम के अंतर्गत, 15 कंपनियों को प्रति वर्ष 3000 मेगावाट (MW) क्षमता के इलेक्ट्रोलाइज़रों के स्वदेशी मैन्युफेक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किए गए हैं।

*****